सत्यमेव जयते

PARTICIPANT HANDBOOK

Automotive

Language: Hindi

BASIC AUTOMOTIVE SERVICE TECHNICIAN(4 WHEELER)

N·S·D·C National Skill Development Corporation

Orion Edutech®
ISO 9001:2015 CERTIFIED
Funded Partner of NSDC

बेसिक ऑटोमेटिव सर्विस तकनीशियन

(4 व्हीलर्स)

Orion Edutech™
ISO 9001:2015 CERTIFIED
Funded Partner of NSDC

Orion House, 28, Chinar Park, Rajarhat Road
Kolkata – 700157, Ph.: +91 33 40051635

www.orionedutech.com

वेलकम नोट

डिअर पार्टिसिपेंट,

बेसिक ऑटोमेटिव सर्विस तकनीशियन (4 व्हीलर्स) ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है| इस प्रोग्राम के अंत में, यह उम्मीद की जाती है कि आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक एलएमवी ड्राइवर, कमर्शियल वाहन ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर या सहायक ड्राइवर के तौर पर शामिल होंगे| एक सहायक ड्राइवर या मैकेनिक के रूप में , आप वाहन के हिस्सों पर चिकनाई लगाने, उसकी कहराबी ढूंढने और छोटे मोटे रखरखाव के लिए सक्षम हो सकते हैं|

हर एक मॉड्यूल को पढ़ें, अपने मुख्य सीख को लोग करें और अंत में दी गयी वॉरशीटों को करने का प्रयास करें|

प्रशिक्षुओं के लिए आम निर्देश:

1. अपने प्रशिक्षक और बाकि प्रतिभागियों को ग्रीट करें|
2. कक्षा हमेशा समय पर पहुचें|
3. नियमित रहें अपेक्षित उपस्थिति से कम होने वाले अभ्यर्थियों को प्रमाणित नहीं किया जाएगा।
4. यदि किसी भी कारणवश आप कक्षा में नहीं आ पाएंगे तो अपने प्रशिक्षक को सूचित करें|
5. अपने प्रशिक्षक की बताये जाने और दिखाए जाने वाले बातों पर ध्यान दें|
6. यदि आपको कुछ समझ में नहीं अत है, तो अपना हाथ उठायें और स्पष्टीकरण प्राप्त करें।
7. सुनिश्चित करें कि आप इस पुस्तक में प्रत्येक मॉड्यूल के अंत में सभी अभ्यास करते हैं। यह आपको अवधारणाओं को बेहतर समझने में मदद करेगा|
8. नए कौशल को सीखने के बाद जितना हो सके अभ्यास करें| अभ्यास के लिए अपने प्रशिक्षक और सेह-प्रतिभागियों की मदद लें|
9. बिजली और उपकरणों के साथ काम करते वक्त अपने प्रशिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें|
10. सुनिश्चित करें की आपने हमेशा साफ़ और प्रेसेंटेबल कपडे पहने हों|
11. प्रशिक्षण के समय सभी एक्टिविटी, खेल और चर्चा में भाग लें|
12. कक्षा में आने से पहले हमेशा नहाएं, साफ़ कपडे पहनें और आपने बाल बना लें|

तीन अति महत्वपूर्ण शब्द जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए और अपनी बातचीत में इस्तेमाल करने चाहिए
प्लीज, थैंक यू और सॉरी|

परिचय

अराजक भारतीय सड़कों पर किसी की भी सोच से परे ड्राइविंग के लिए अधिक सावधानी बरतनी पद सकती है| जब आप अपनी गाड़ी लेकर सड़कों पर निकलते हैं तो सबसे पहले आप देखें कि कैसे गाड़ियां और बाकि वाहन एक दूसरे से ओवरटेक करने में लगे हैं| अतः, जब आप गाड़ी में सवार होते हैं तो सुरक्षा प्राथमिकता हो जाती है|

अतः अधिक जरुरी यह कि किसी को भी सुरक्षा के साथ हलके मोटर वाहन चलने के लिए प्रभावी प्रशिक्षण प्रोग्राम हो| ट्रैफिक में ड्राइव करने केवल वाहन को नियंत्रण करने के बारे में जान्ने से अधिक है, इसमें जरुरत होती है कि आप सड़क नियम को कैसे लागू करते हैं, जो कि सुरक्षित और प्रभावी ड्राइविंग सुनिश्चित करता है|

एक शिक्षित ड्राइवर हमेशा वाहन संभालने की मूल बातें समझने में सहज होता है, जो उसे न केवल सुरक्षित और सतर्क रखता है बल्कि सड़कों पर ड्राइविंग करते समय भी पूरा विश्वास रखता है। वो, विभिन्न प्रकार की सड़कों और सतहों पर भारी और हल्के मोटर वाहनों को चलाने के बारे में ट्रैफिक नियमों को ध्यान में रखेगा|

विषय - सूची

(बेसिक ऑटोमेटिव सर्विस तकनीशियन - 4 व्हीलर्स)

पाठ - 1

ड्राइविंग लॉ & रूल, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ़ व्हीकल ऑपरेशन

1.1. मोटर व्हीकल एक्ट, 1988
1.2. ड्राइविंग और वाहनों से संबंधित कुछ सामान्य शब्दावली
1.3. ड्राइवर्स की लाइसेंसिंग
1.4. भारत में ड्राइविंग लाइसेंस
1.5. कंडक्टर की लाइसेंसिंग
1.6. मोटर वाहनों का पंजीकरण
1.7. राज्य अनुसार- क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) श्रृंखला
1.8. परिवहन वाहनों पर नियंत्रण
1.9. यातायात नियंत्रण
1.10. कुछ मामलों में दोष के बिना भी जवाबदही
1.11. मोटर वाहनों का बीमा
1.12. दावा न्यायालय
1.13. अपराध, जुर्माना और प्रक्रिया

पाठ - 2

इंजन बेसिक

2.1 विभिन्न प्रकार के 4 पहिया वाहनों की पहचान
2.2 वाहन पहचान संख्या, चेसिस नंबर और इंजन नंबर
2.3 विभिन्न प्रकार के इंजन के भाग ओर कार्य प्रणाली की पहचान
2.4. कम्प्रेशन और वैक्यूम की जांच
2.5. वाहनों में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के ईंधन
2.6. तेल के स्तर की जाँच
2.7. गाड़ी में तरल पदार्थ कि जाँच कैसे की जाये?
2.8. इंजेक्टर पर संक्षिप्त परिचय
2.9. ग्रीसिंग पॉइंट्स का लेआउट
2.10. कूलिंग सिस्टम
2.11. उत्सर्जन परीक्षण
2.12. सीएनजी और एलपीजी गैस

पाठ - 3

लेआउट ऑफ़ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ़ व्हीकल्स

3.1. वाहन के पुर्जे
3.2. विभिन्न प्रकार के क्लूचेस
3.3. गियर डिब्बा
3.4. विभिन्न प्रकार के ब्रेक्स
3.5. टायर में कोड सिस्टम

पाठ - 4

वाहन इस्तेमाल किये जाने वाले विभिन्न औजार

4.1. वाहन में विभिन औजारों का इस्तेमाल

4.2. वाहन में इस्तेमाल किये जाने अन्य औजार|

पाठ - 5

टायर रिपेयर एंड इंस्पेक्शन

5.1. विभिन्न प्रकार के पहिये

5.2. विभिन्न प्रकार के ट्यूब्स

5.3. अपने पहियों को चेक करें|

5.4. पहिये कैसे बदलें?

5.5. अपने पहियों को कैसे मेन्टेन रखें?

5.6. कारण टायर के दोषों के लिए

5.7. टायर हटाने, फिटिंग और हटाने की प्रक्रिया

5.8. पंक्चर को चेक करना व रिपेयर करना

5.9. पहिये और रिम को हटाने व असेम्बलिंग के सुरक्षा बचाव

5.10. पहिये का वुलनीकरण

5.11. ट्यूब पहिये के पंक्चर व ट्यूबलेस के पंक्चर की मरम्मत कैसे करें?

5.12. टायर रोटेशन

5.13. पहियों में नाइट्रोजन गैस द्वारा हवा भरना

पाठ - 6

व्हील बैलेंसिंग

6.1. व्हील बैलेसिंग क्या है?

6.2. यदि कार में कंपन हो रहा है तो इसे कैसे कही करेंगे?

6.3. वाहनों से व्हील्स को निकालना और दोबारा फिट करना

पाठ - 7

व्हील एलाइनमेंट

7.1. व्हील एलाइनमेंट

7.2. आपको क्या चेक करना चाहिए?

7.3. स्टीयरिंग और सस्पेंशन सिस्टम का लेआउट

7.4. कार पर एलाइनमेंट को सही करने की प्रक्रिया

पाठ - 8

विभिन्न क्रियात्मक गतिविधियां

8.1. वाहन को स्टार्ट करने से पहले चेक करना

8.2. वाइपर ब्लेड्स को चेक करन

8.3. क्लच कंट्रोल

8.4. क्लच, गियर का उद्देश्य और डिफरेन्सल

8.5 क्लच और मैनुअल गियर बॉक्स में सामान्य खराबी

8.6 इंजन से पहियों तक पॉवर फ्लो का लेआउट

8.7 टॉर्किंग और डी टॉर्किंग तकनीकी

पाठ - 9

इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रण मॉड्यूल बैटरी और इग्निशन सिस्टम

9.1 विद्युत् नियंत्रण इकाई

9.2 बैटरी

9.3 बैटरियां और कोशिकाएं

9.4 लीड एसिड बैटरियां और स्टे रखरखाव मुक्त (एसएमएफ) बैटरियां

9.5 बैटरी परीक्षक

9.6 निकालें और पुनः फ़िट करें हेड लैंप असेंबली

9.7 बिजली प्लग का निरीक्षण करें और एच.टी. केबल्स की जांच करें

9.8 स्पार्क प्लग को साफ़, चेक और एडजस्ट करें

9.9 इग्निशन सिस्टम पर संक्षिप्त परिचय

9.10 इग्निशन सिस्टम सर्किट और घटक

पाठ - 10

भारत में सड़क के मूल नियम

10.1 सड़क सुरक्षा

10.2. वाहन सुरक्षा टिप्स

10.3. प्राथमिक चिकित्सा किट

पाठ - 11

ड्राइवर की जिम्मेदारी

11.1. ड्राइवर के कर्तव्य

11.2. वाहन की साफ़ सफाई

11.3. ड्राइविंग करते समय सीखे जाने वाले पाठ

11.4. सुरक्षित और जिम्मेदार ड्राइविंग

पाठ - 12

भारतीय सड़कों पर परिवहन

12.1. ऑटोमोबाइल क्षेत्र

12.2. भारत में पायी जाने वाली विभिन्न प्रकार की गाड़ियां

12.3. भारत में अंतर्राष्ट्रीय कार और मोटर्

12.4. भारत में भारी वाहन

पाठ - 13

भारत में मोटर के लिए बिमा पॉलिसी

13.1. बीमा

13.2. भारत में मोटर वाहन का बीमा

13.3. सामान्य बहिष्करण

13.4. अतिरिक्त कवर - देयता अनुभाग

13.5 बचत

पाठ - 14

सड़क सुरक्षा, ड्राइविंग टिप्स और सड़क दुर्घटनाएं

14.1. सड़क सुरक्षा

14.2. गीली सडकों पर सुरक्षा ड्राइव

14.3. ड्राइविंग टिप

14.4. भारत में ड्राइवर्स नियम क्यों तोड़ते हैं?

14.5. ट्रैफिक मैटर्स पर जरुरी सूचना

14.6 जब किसी का वाहन दुर्घटना से ग्रसित हो जाये तो ड्राइवर के कर्तव्य

14.7. सड़क दुर्घटना

पाठ - 15

कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी शब्द

पाठ - 16

कैब सेवाएं

16.1 विभिन्न कैब सर्विसेज

16.2 कैब चालक की तमीज व जिम्मेदारियां

16.3 कैब बुकिंग और रद्दीकरण

16.4 टैक्सी चालक के लिए जीपीएस नेविगेशन

पाठ - 17

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पाठ - 1

ड्राइविंग लॉ & रूल, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ़ व्हीकल ऑपरेशन

सीखने के परिणाम:

- ड्राइविंग कानूनों के बारे में जानना|
- ड्राइविंग लाइसेंस की नीतियों के बारे में जानना|
- यातायात संचार, संकेतों और कोड के बारे में जानना|

प्री-सेशन एक्टिविटी

- प्रशिक्षक गाड़ी के विभिन्न हिस्सों की वीडियो प्रशिक्षार्थियों को दिखाएगा|

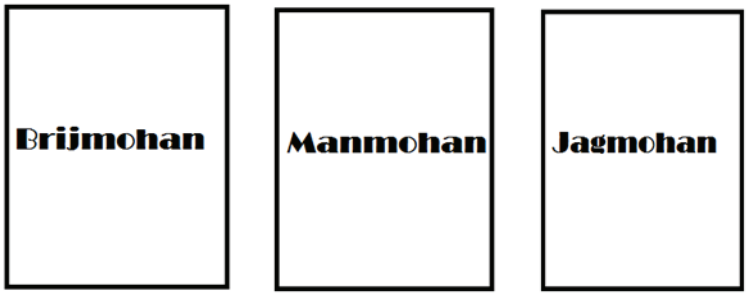

3 भाई थे - बृजमोहन, मनमोहन और जगमोहन| वह सभी तीन अमीर परिवारों के ड्राइवर थे| उनका जीवन सुचारु रूप से चल रहा था| वह अपनी आय से खुश थे|

एक दिन बृजमोहन और मनमोहन काम पर गए और जगमोहन पीछे रुक गया क्यूंकि उसकी साप्ताहिक छुट्टी थी| दुर्भाग्य से, बृजमोहन जो गाड़ी चला रहा था, वह बीच रास्ते में ख़राब हो गयी| वह भ्रमित और डरा हुआ था| उसे अपने बॉस को लेने हवाई अड्डे जाना था और उसे देर हो रही थी| अपने बॉस को जानते हुए, उसे यकीन था कि वह अब अपनी नौकरी खो देगा| प्रातः काल का समय था और आसपास कोई गैराज नहीं था| उसने जगमोहन को फ़ोन किया:

जगमोहन: हाँ भाई! क्या हुआ?

बृजमोहन: जग्गु, मेरी गाड़ी बीच रास्ते ख़राब हो गयी| मुझे नहीं पता कि इसको क्या हुआ?

जगमोहन: ओह, ठीक है! लेकिन मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता:

बृजमोहन: हे भगवान!

(कॉल को डिस्कनेक्ट करता है)

बृजमोहन हिचकिचाते हुए फिर मनमोहन को फ़ोन करता है|

मनमोहन: हाँ बृज?

बृजमोहन: मन्नु, मेरी गाड़ी काम नहीं कर रही है; मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए|

मनमोहन: तुम अभी कहाँ हो?

बृजमोहन: एम्.जी रोड के पास| जल्दी आना|

मनमोहन: मैं 5 मिनिट में पहुँच जाऊंगा|

15 मिनिट के बाद

मनमोहन: बृज, अब गाड़ी शुरू करो, यह काम कर रही है| गाड़ी की बैटरी के साथ छोटी सी समस्या थी, अब सब ठीक है|

बृजमोहन: (मनमोहन का हाथ पकड़ते हुए) तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मन्नु|

मनमोहन: यही कारण है कि मैं तुम्हे हमेशा गाड़ी की यंत्रावली के बारे में सीखने के लिए कहता हूँ| यह बेहतर है कि एक केवल ड्राइवर होने के बजाये ड्राइवर के साथ साथ मैकेनिक भी हो|

बृजमोहन हामी भरता है और एक बड़ी मुस्कान के साथ गाड़ी शुरू करता है|

1.1 मोटर व्हीकल एक्ट, 1988

मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर वाहनों से सम्बंधित कानूनों को संघटित करता है अर्थात संविधान से संबंधित कानून, मोटर वाहनों का उपयोग और नियंत्रण।

भारत में मोटर वाहनों से संबंधित पहला अधिनियम इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1914 था, जिसे बाद में परिणाम स्वरुप मोटर व्हीकल एक्ट 1939 से बदल दिया गया था|

1939 के एक्ट को कई बार संशोधित किया गया है|

कई सुधार या संशोधनों के बावजूद, एक व्यापक कानून या विनियमन लाना आवश्यक था|

1.2 ड्राइविंग और वाहनों से संबंधित कुछ सामान्य शब्दावली

➢ **मोटर वाहन" कि परिभाषा**

- "मोटर वाहन" का अर्थ है यंत्रावली से संचालित वाहन|
- यह सड़कों पर उपयोग करने के लिए अनुकूलित हैं, जहाँ प्रोपल्शन (आगे चलना) की ऊर्जा बाहरी या आंतरिक स्रोत से प्रसारित होती है।
- इसमें चेसी भी होते हैं जिनसे धड़ जोड़ा हुआ नहीं होता|
- मोटर वाहनों को आम तौर पर राजमार्गों पर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए यात्रियों के परिवहन और कई अन्य चीजों के परिवहन के लिए बनाया जाता है|

➢ **"आर्टिक्युलेटेड व्हीकल" (जोड़ा हुआ वाहन)**

इसका मतलब है एक मोटर व्हीकल जिसके साथ सेमि-ट्रेलर जुड़ा हुआ हो|

➢ **"एक्सल वेट" (अक्ष वजन)**

- अक्ष वजन अधिकतम वितरण वजन है जिसे सड़क वाहन के एक्सेल द्वारा सहारा प्राप्त हो सकता है|
- आमतौर पर, अक्ष वजन के आगे क्रमशः एफआर या आरआर आता है जो क्रमशः पीछे या सामने वाले अक्षों को दर्शाता है।

➢ **"पंजीकरण का प्रमाण पत्र"**

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एक मोटर वाहन के विधिवत रूप से किये गए पंजीकरण के आशय से अधिकार-युक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

➢ **"कंडक्टर"**

- कंडक्टर हमेशा काम में लगा रहता है|
  1. यात्रियों से किराया एकत्र करने में|
  2. उनके अंदर आने और बाहर जाने को नियमित करने में|
  3. किराये की गाड़ी
  4. इन्ही तरह के अन्य कार्यों को करने में जैसे निर्धारित किये गए हों|

➢ **"कॉन्ट्रैक्ट कैरिज"**

➢ कॉन्ट्रैक्ट कैरिज यात्रियों और माल ढोने वाली गाड़ियों के बीच बनाये जाने वाले इकरारनामे को कहते हैं|

➢ आमतौर पर, यह विषय को संबोधित करने के इरादे से पक्षों के इकरारनामे के प्रति कर्तव्यों, अधिकारों और उत्तरदायित्वों को परिभाषित करता है|

➢ **"माल गाड़ी"**

किसी भी प्रकार का मोटर वाहन जो केवल माल लाने लेजाने के लिए बनाया गया हो या अनुकूलित किया गया हो|

➢ **"ग्रॉस व्हीकल वेट" (जीवीडब्ल्यू)**

- ग्रॉस व्हीकल वेट अर्थात किसी वाहन का अधिकतम ऑपरेटिंग वजन|
- अधिकतम ऑपरेटिंग वजन में वाहन के चेसी, ढाँचा, इंजन, इंजन तरल पदार्थ, ईंधन, सामान, चालक, यात्री और माल शामिल हैं लेकिन किसी भी प्रकार के ट्रेलर को छोड़कर|

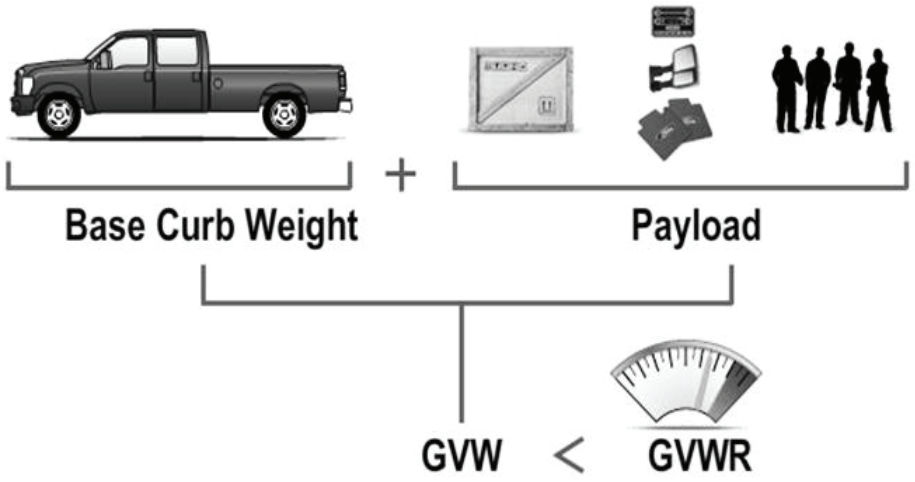

➢ **"लर्नर लाइसेंस" (सीखने वाले व्यक्ति का लाइसेंस)**

यह अधिकार-युक्त प्राधिकारी द्वारा अध्याय II के तहत एक सीखने वाले व्यक्ति के रूप में किसी विशेष श्रेणी या विवरण के मोटर वाहन को चलाने के लिए उसे अधिकृत करने के लिए जारी किया जाता है|

➢ **"हैवी गुड्स व्हीकल" (भारी माल ढोने वाला वाहन)**

चाहे वह ट्रैक्टर हो या रोड रोलर, किसी भी भार उतारे हुए माल गाड़ी का वजन अगर 12000 किलोग्राम से ज़्यादा है तो उसे हैवी गुड्स व्हीकल कहा जाता है|

➢ **"मीडिअम गुड्स व्हीकल" (मध्यम सामान ढोने वाला वाहन)**

हल्के मोटर वाहन या भारी मोटर वाहन के अलावा कोई भी माल गाड़ी एक मध्यम सामान वाहन है।

➢ **"लाइट मोटर वाहन"**

यदि किसी हलके वजन वाली गाड़ी का बिना भार वाला वजन 7500 किलोग्राम से ज़यादा नहीं है तो वह हल्के मोटर वाहनों की श्रेणी में आते हैं|

➢ **"मालिक"**

जिस व्यक्ति के नाम पर मोटर वाहन पंजीकृत है|

➢ **"परमिट"**

यह एक आधिकारिक दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति को वाहन चलाने का प्राधिकरण देता है।

"पंजीकरण प्राधिकरण"

प्राधिकरण अधिनियम के अध्याय IV के तहत मोटर वाहनों का पंजीकरण करने का अधिकार देता है।

"रूट"

यात्रा का मार्ग उस हाईवे का विस्तृत विवरण करता है जिसे दो टर्मिनस के बीच मोटर वाहन द्वारा नेविगेट किया जा सकता है|

"सेमि-ट्रेलर"

- यह एक वाहन है जो यांत्रिक रूप से नहीं चलता|(ट्रेलर के अलावा)
- इसका अभिप्रेत मोटर वाहन से जुड़ा होना है।
- इसका निर्माण इस तरीके से किया जाता है कि इसका एक हिस्सा सुपर-इम्पोसेड है और एक हिस्सा जिसका वजन बनता है|

"स्टेज कैरिज" - "स्टेज कैरिज" का अर्थ है ऐसा मोटर वाहन जिसे चालक को छोड़कर 6 यात्रियों से अधिक को लाने लेजाने के लिए बनाया गया हो|

"ट्रेलर" - कोई भी वाहन, सेमि-ट्रेलर और साइड-गाड़ी के अलावा जिसे मोटर वाहन द्वारा खींचे जाने या उस उद्देश्य से बनाया गया हो|

"अनलेडेन वेट" - किसी भी वाहन का अनलेडेन वेट वाहन का वेट दर्शाता है जब वह किस भी यात्री, माल या अन्य किसी सामान को ढो नहीं रहा हो| इसमें ईंधन का वजन या बिजली के मामले में बैटरी का वजन शामिल नहीं है|

"वजन" - एक वाहन के पहियों द्वारा वहन किया जाने वाला कुल भार, जिस धरातल पर वाहन खड़ा है।

अपने आप का परीक्षण करें

A. रिक्त स्थान भरें:

1. मोटर वाहन चलाने के लिए निर्दिष्ट व्यक्ति को अधिसूचित करने के लिए अध्याय II के तहत अधिकार-युक्त प्राधिकारी _____ लाइसेंस जारी करता है।
2. _____ अधिकतम वितरित वजन है जिसे सड़क वाहन के एक्सेल द्वारा सहारा प्राप्त हो सकता है|
3. _____ का मतलब माल या यात्रियों के बीच बनाया गया अनुबंध है|

B. बताएं कि निम्नलिखित कथन सही है या गलत:

1. "मोटर वाहन" का अर्थ है किसी भी यांत्रिक/तकनीकी रूप से संचालित वाहन। [ ]
2. प्राधिकरण अधिनियम के अध्याय IV / VII के तहत मोटर वाहनों को पंजीकृत करने का अधिकार देता है। [ ]
3. कोई भी वाहन, सेमि-ट्रेलर और साइड गाड़ी के अलावा मोटर वाहन द्वारा खींचे जाने या उसके इरादे से - "ट्रेलर / स्टेज कैरियर" [ ]

1.3 ड्राइवर्स की लाइसेंसिंग

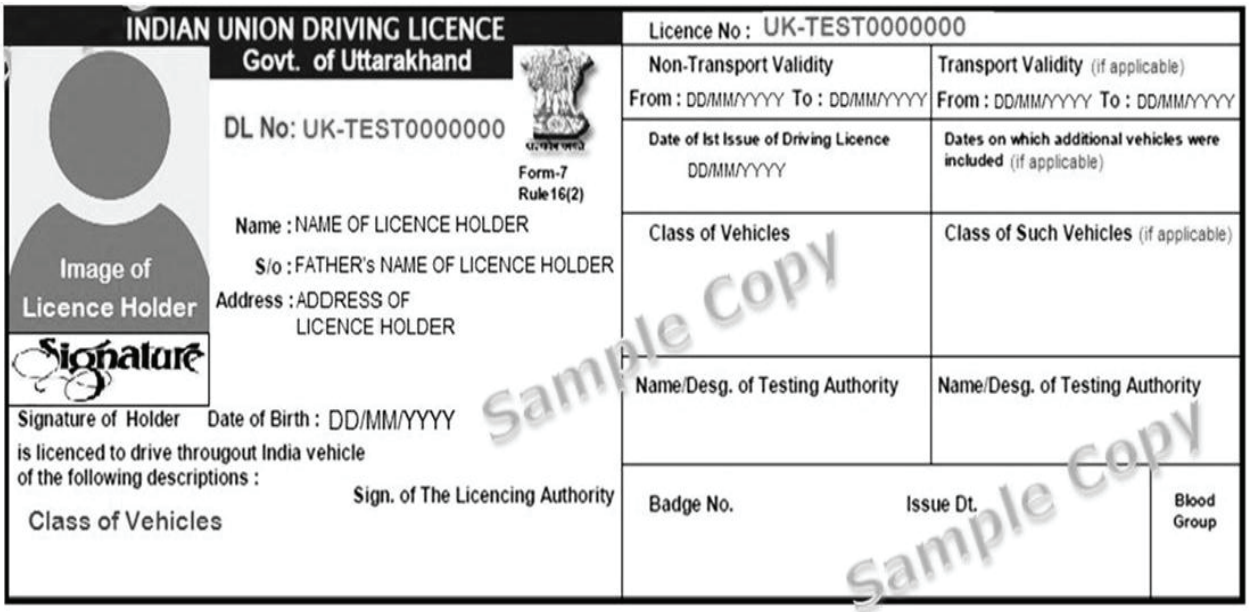

ड्राइवर्स की लाइसेंसिंग पर सामान्य पूछताछ	
1. ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता क्यों है?	• मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार, सार्वजनिक सड़कों पर किसी भी मोटर वाहन को चलाने के लिए एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन चलाता है उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक है|
2. यह कहाँ मिलता है?	• आपको क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय या मोटर वाहन निरीक्षक कार्यालय में अपना ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा, जिसके पास आपके आवासीय क्षेत्र का अधिकार होगा|
3. यह कब मिलता है?	• 16 वर्ष की आयु के पूरा होने के बाद, व्यक्ति माता-पिता/अभिभावक की सहमति से मोटरसाइकिल की सवारी कर सकता है जिसके इंजन की क्षमता 50 cc से अधिक न हो| • 18 वर्ष की आयु के पूरा होने के बाद, व्यक्ति हल्के मोटर वाहनों के साथ-साथ 50 cc से अधिक क्षमता वाले इंजन की क्षमता की मोटरसाइकिल भी चला सकता है| • 20 वर्ष की आयु के पूरा होने के बाद, व्यक्ति परिवहन वाहनों को चलाने के लिए अधिकृत है।
4. आप लर्नर लाइसेंस (सीखने का लाइसेंस) कैसे प्राप्त कर सकते हैं?	• लर्नर लाइसेंस के आवेदक को लाइसेंसिंग प्राधिकरण के समक्ष निम्नलिखित के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश होना चाहिए: ✓ निर्धारित फॉर्म में आवेदन| ✓ शुल्क। ✓ वाहन के उपयुक्त वर्ग के लिए उचित आयु प्रमाण पत्र| उदाहरण के लिए, जन्म प्रमाणपत्र, माध्यमिक स्कूल प्रमाणपत्र, जीवन बीमा नीति, पासपोर्ट आदि। ✓ निवास स्थान का सबूत जैसे राशन कार्ड, चुनाव सम्बंधित भूमिका, बिजली / टेलीफोन बिल आदि जिसमें व्यक्ति का नाम दिख रहा हो| ✓ जहां भी लागू हो वहां मेडिकल प्रमाणपत्र। ✓ आवेदक की 3 हालिया पासपोर्ट साइज की तसवीरें| • परिवहन वाहन लाइसेंस के लिए आवेदकों को निर्धारित फॉर्म और प्रक्रिया में आवेदन करना चाहिए और उनके द्वारा संघटित कम से कम एक साल तक लाइट मोटर का स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस पेश करना चाहिए। • लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदक को बुनियादी यातायात संकेतों और चालक की जिम्मेदारियों से सम्बंधित एक परीक्षा पास करनी होगी| जारी किया गया लर्नर लाइसेंस, जारी करने की तारिख से छह महीने की अवधि के लिए वैध है और इसकी वैधता के दौरान छह माह की दूसरी अवधि के लिए नवीकरण के लिए मान्य है।

5. आप एक स्थायी लाइसेंस कैसे प्राप्त कर सकते हैं?	• आवेदक को लाइसेंस प्राधिकारी के समक्ष निम्नलिखित के साथ-साथ संबंधित श्रेणी के पंजीकृत मोटर वाहन के साथ व्यक्तिगत रूप से पेश होना चाहिए: ✓ निर्धारित फॉर्म में आवेदन (विभाग के पास उपलब्ध)| ✓ परीक्षण और लाइसेंस के लिए शुल्क| ✓ उपयुक्त श्रेणी के लिए आवेदक द्वारा संघटित मान्य लर्नर लाइसेंस जो 30 दिन से पुराना हो। ✓ आवेदक की हालिय 4 पासपोर्ट साइज तस्वीरें| • इसके अलावा, परिवहन वाहन लाइसेंस के लिए आवेदकों को एक मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल द्वारा जारी किए गए प्रशिक्षण प्रमाणपत्र को शामिल करना चाहिए। • आवेदक जिस वाहन के लिए आवेदन दे रहा है उस प्रकार के वाहन पर उसे ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा|
6. ड्राइविंग लाइसेंस कब तक मान्य है?	• गैर-परिवहन वाहन चलाने के लिए लाइसेंस जारी होने की तारीख से 20 वर्ष के लिए वैध है या जब तक कि धारक 50 वर्ष की आयु का न हो जाये, जो भी पहले हो| • इसके बाद, लाइसेंस का हर 5 साल में नवीकरण किया जाता है| • परिवहन वाहन लाइसेंस जारी करने की तारीख से या नवीकरण से 3 वर्ष की अवधि के लिए वैध है।
7. मोटर वाहन चलाने के लिए लाइसेंस की प्रभावशीलता कितनी है?	• इस अधिनियम के तहत किसी भी अधिकार-युक्त प्राधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि के लिए जारी किया गया लर्नर लाइसेंस या स्थायी लाइसेंस सम्पूर्ण भारत में मान्य होगा|
8. ड्राइविंग लाइसेंस के नवीकरण की प्रक्रिया क्या है?	• कोई भी लाइसेंसिंग प्राधिकारी, आवेदन किये जाने पर, इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी किए गए ड्राइविंग लाइसेंस का नवीकरण कर सकता है जो उसके समापन की तारिख से मान्य है|
9. लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास कौनसी शक्तियां हैं जिससे वह किसी व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस रखने के अयोग्य घोषित कर सकती हैं?	• लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास किसी व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस रखने से आयोग्य घोषित करने की शक्ति होती है, यदि उसे पता चल जाये कि ड्राइविंग लाइसेंस धारक नारकोटिक ड्रग्स और मनोवैज्ञानिक पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत एक स्वाभाविक अपराधी, शराबी या स्वाभाविक रूप से बुरी आदत का रोगी है| अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने की शक्ति है कि क्या: ✓ यदि वह किसी ज्ञेय अपराध में मोटर वाहन का उपयोग कर रहा हो या उसने उपयोग किया हो| ✓ मोटर वाहन चालक के रूप में यदि उसका पिछला आचरण यह दिखा रहा हो कि उसके सार्वजनिक रूप से गाड़ी चलाना असुरक्षित है| ✓ उसने कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस या किसी विशेष वर्ग के मोटर वाहन को चलाने के लिए लाइसेंस धोखाधड़ी से या गलत अर्थ से प्राप्त किया हो| ✓ उसने कोई ऐसा कार्य किया हो जिसके कारण जनता में उपद्रव या खतरा पैदा होने की सम्भावना हो| ✓ उसने प्रावधानों में निर्दिष्ट परीक्षा जमा न की हो या उसमें सफल न हुआ हो|

10. ड्राइविंग लाइसेंस के राज्य रजिस्टरों के रखरखाव की प्रक्रिया क्या है?	• राज्य सरकार के पास ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सम्पूर्ण विवरण को बनाये रखने का अधिकार है| • फॉर्म में निम्नलिखित विवरण शामिल किया जायेगा: ✓ नाम ✓ पता ✓ लाइसेंस संख्या ✓ जारी करने की तिथि या लाइसेंस नवीनीकरण की ✓ लाइसेंस का समापन ✓ चलाने के लिए प्राधिकृत वाहन की श्रेणी और प्रकार और अन्य विवरण|

1.4 भारत में ड्राइविंग लाइसेंस

भारत में 50 सीसी या उससे कम की मोटरसाइकिल की ड्राइविंग के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष और अन्य सभी वाहनों के लिए 18 वर्ष है।

इन बिंदुओं को याद रखें\|

- मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार सार्वजनिक सड़कों पर किसी भी प्रकार के मोटर वाहन को चलाने के लिए एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक है।
- आवेदक के ड्राइविंग परीक्षण में सफल होने के बाद और आवश्यक आयु साबित करने के बाद, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाता है\|
- भारत में ड्राइविंग लाइसेंस को मोटरसाइकिल लाइसेंस, लाइट मोटर व्हीकल (एलएमवी) लाइसेंस और हैवी मोटर व्हीकल (एचएमवी) लाइसेंस के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- आवेदक को लर्नर लाइसेंस उसके थ्योरी परीक्षा पास करने के बाद जारी किया जाता है\|
- ड्राइविंग लाइसेंस का कानून 'रोड रेगुलेशन के नियम' और मोटर वाहन अधिनियम 1988 के माध्यम से बनाया जाता है\|
- ड्राइवर के लिए अनिवार्य है कि वह ड्राइविंग लाइसेंस की मूल प्रति रखे\|

भारत में ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार:

विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न लाइसेंस आवंटित किए गए हैं:-

- **लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस (सीखने वाले के लिए ड्राइविंग लाइसेंस)**

  लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस एक अस्थायी लाइसेंस है जो जारी करने की तारीख से लेकर 6 महीने तक मान्य है\|

- **स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस**

  स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस उन लोगों के लिए है जो लर्नर लाइसेंस के जारी होने की तारीख से तीस दिन के बाद (180 दिनों के भीतर आवेदन करने के लिए) ड्राइविंग के लिए योग्य हैं| इस लाइसेंस में वाहन सिस्टम, ड्राइविंग, ट्रैफिक नियम और विनियम शामिल हैं|

- **डुप्लिकेट ड्राइविंग लाइसेंस**

  नुकसान, चोरी या विकृति के कारण डुप्लिकेट लाइसेंस जारी किया जाता है| इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया है कि खोए गए लाइसेंस की एफआईआर दर्ज कराई जाये, आरटीओ से चालान निकासी रिपोर्ट (कमर्शियल लाइसेंस नवीकरण के मामले में) और एलएलडी फॉर्म में आवेदन| रिकॉर्ड से अधिकारी विवरणों की पुष्टि करेगा। यदि लाइसेंस खो गया है और 6 महीने से अधिक समय से समाप्त हो गया है तो उसे परिवहन विभाग के मुख्यालय से अनुमति की आवश्यकता होगी।

याद रखें

वास्तविक लाइसेंस या उससे सम्बंधित विवरणों की एक फोटोकॉपी रखें ताकि जारी करने वाले प्राधिकारी के लिए उसे ढूढ़ना आसान हो जाये|

- **अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस**

  अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस एक वर्ष के लिए उस व्यक्ति के लिए मान्य है जो देश घूमने आया हो| पता प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र के अलावा, उसको एक वैध वीजा और पासपोर्ट या तो बनवाना होगा या उसके पास होना चाहिए|

- **मोटरसाइकिल लाइसेंस या टू-व्हीलर लाइसेंस**

  क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीओ) केवल दोपहिया वाहन जैसे बाइक, स्कूटर और मोपेड ड्राइविंग का परमिट देता है|

- **लाइट मोटर वाहन लाइसेंस (एलएमवीएल)**

  ऑटो रिक्शा, मोटर कार, जीप, टैक्सियों, तीन-पहिया वाहन, डिलीवरी वैन आदि जैसे वाहन चलाते समय एक व्यक्ति के पास लाइट मोटर वाहन लाइसेंस होना चाहिए|

- **भारी मोटर वाहन लाइसेंस (एचएमवीएल)**

  ट्रक, बस, र्यटक कोच, क्रेन, माल गाड़ी आदि जैसे भारी मोटर वाहनों को चलाने के लिए, एक व्यक्ति के पास भारी मोटर वाहन लाइसेंस (एचएमवीएल) होना चाहिए|

While Drive
#Lesson-1#

पीकर गाड़ी

ना

चलाएं

नोट्स

अपने आप का परीक्षण करें

A. निम्नलिखित का मिलान करें:

a) अस्थाई लाइसेंस	**1.** 1 वर्ष के लिए मान्य है
b) स्थायी लाइसेंस	**2.** उन लोगों के लिए है जो 30 दिनों के बाद ड्राइविंग के लिए योग्य हैं
c) अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस	**3.** 6 महीने तक वैध है

B. सही/गलत बताएं:

1 14/16 वर्ष की आयु के पूरा होने के बाद, चालक को मोटरसाइकिल चलाने की अनुमति है| [ ]

2 लाइसेंस का हर 5/7 वर्षों में नवीकरण किया जाता है। [ ]

C. पूर्ण प्रपत्र लिखें:

1. **आरटीओ -**
2. **एचएमवी -**
3. **एलएमवी -**

1.5 कंडक्टर की लाइसेंसिंग

Q1. कंडक्टर के लाइसेंस की क्या आवश्यकता है?

A: एक किराये की गाड़ी के कंडक्टर के रूप में कार्य करने के लिए, व्यक्ति के पास अधिकार-युक्त प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया कारगर कंडक्टर लाइसेंस होना चाहिए|

इसके अलावा, किसी भी व्यक्ति को एक महीने से अधिक की अवधि के लिए कंडक्टर के रूप में कार्य करने की नौकरी या अनुमति नहीं देनी चाहिए जिसके पास कंडक्टर के रूप में कार्य करने का लाइसेंस ना हो|

Q2. कंडक्टर का लाइसेंस रद्द करने के लिए क्या नियम हैं?

A. कोई भी लाइसेंस प्राधिकारी किसी भी समय कंडक्टर का लाइसेंस रद्द कर सकता है| प्राधिकारी के पास मानने के लिए वाजिब आधार है कि:

- लाइसेंस का धारक किसी भी ऐसी बीमारी या विकलांगता से पीड़ित है, जो उसे इस तरह के लाइसेंस को रखने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य बनाता है|
- कंडक्टर का लाइसेंस रद्द करने वाला प्राधिकारी वह है जिसने उससे जारी नहीं किया था, और साथ ही में उसको जारी करने वाले प्राधिकारी को इसका कारण भी बताना होगा|

1.6 मोटर वाहनों का पंजीकरण

Q1. पंजीकरण प्रमाण पत्र का क्या अभिप्राय है?

A. पंजीकरण प्रमाण पत्र अधिकार-युक्त प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मोटर वाहन के विधिवत रूप से पंजीकृत होने के लिए जारी किया जाता है|

Q2. पंजीकरण की क्या आवश्यकता है?

A. कोई भी व्यक्ति किसी भी मोटर वाहन को ना चलाएगा और ना ही किसी भी मोटर वाहन का मालिक किसी भी कारण वाहन को किसी भी सार्वजनिक स्थान या किसी अन्य जगह में चलाने की अनुमति देगा जब तक कि वाहन आईएमवी अधिनियम 1988 के अध्याय 4 के अनुसार पंजीकृत न हो।

Q3. पंजीकरण की प्रक्रिया कहाँ आयोजित की जाती है?

A: प्रत्येक मोटर वाहन मालिक को उनके निवास स्थान या व्यावसायिक क्षेत्र जहाँ उनका वाहन आमतौर पर खड़ा होता है, उस क्षेत्र के अधिकार-युक्त पंजीकृत प्राधिकारी द्वारा गाड़ी का पंजीकरण मिल जायेगा|